हम अभी तक पुराना जो चलाते हैं, उसमें नया रूप लाना चाहिए। इसलिए आधुनिक तंत्र और बुनियादी सिद्धान्तों को जोड़कर, एक नए ढंग से नया ढांचा भारतीय विज्ञान का बनाकर अपना आयुर्वेद अधिक प्रभावशाली हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार क्या सोच रही है?

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: मेरा ख्याल है कि आयुर्वेद और हमारी भारतीय पद्धतियों में चिकित्सा के साथ-साथ काफी संशोधन, शोध कार्य की भी व्यवस्था है, हो रही है और आगे और बढ़ेगी। यहां हमारे पास एक ऐसे सदस्य हैं जो वैद्य भी है और डॉक्टर भी हैं, इंटिग्रेटेड तो इसी तरह से कई मायनों में इंटिग्रेट हमको करना पड़ेगा क्योंकि आधुनिक पद्धति में जो चीज़े हमें उपलब्ध है, जो औजार उपलब्ध है, उनका प्रयोग करके आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, जो निष्कर्ष है, उनको हम रोगों की चिकित्सा के काम में ला सकते है। जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में हो, मैं जानता हूं ब्लड प्रैशर आज ले लीजिए और एक महीने के बाद योग के आसन करने के बाद ले लीजिए। वही ब्लड प्रेशर का आला आपको दो नतीजे देगा। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरह से जो हमारे पास ऐपरेटस मौजूद है। उनका इस्तेमाल हो सकता है। उससे भी अधिक कोई और ज्यादा अच्छे ऐपरेटस हम तैयार करवा सकते हैं सुश्रुत को देख कर या उनके लिखे हुए जो भी ग्रंथ है, उनको देख कर तो उस पर तो हमारा खास तौर से अधिकार है। विशेषाधिकार है हमारा उस पर लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक उस दिशा में काम नहीं हुआ है, होना चाहिए मैं इस बात को मानता हूं और जब यह हमारा विभाग बनेगा तो उसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे और जब आवश्यकता होगी तो ऑनरेबल मैम्बर को जरूर हम बुलाकर उनकी राय ले लेंगे और क्या-क्या हो सकता है, उसको देखेंगे।

उपसभापति: ज्ञानी, पंडित.....

श्री प्रमोद महाजन: पार्लियामेंट में आपका एक क्लिनिक तो खुलवा देंगे।

उपसभापति: क्यों आप लोग हम लोगों की जान को खतरे में डालना चाह रहे हैं?

Reservation for Ex-servicemen and physically handicapped persons

*703. SHRI MISA R. GANESAN:
SHRI RAGHAVJI:

Will the PRIME MINISTER *be* pleased to state:

(a) whether Government have issued any instructions to ensure that the reservation in recruitment for ex-servicemen and physically handicapped persons is not rendered meaningless by the direction of the Supreme Court given in the case of Indira Sawhney *versus* Union of India in 1993; and

(b) is so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE -MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) Instructions were issued on 20.9.94 for the physically handicapped and on 1.12.1994 for ex-servicemen providing that these reservations should be treated as horizontal reservation and persons selected should be adjusted in the reservation roster against the reservation provided to SC/ST/OBCs. This was done on the basis of the observations made by the Supreme Court in their judgement in the Indira Sawhney case. The existing percentage of reservation provided to the physically handicapped and ex-servicemen would continue as before.

श्री राघवजी: माननीय मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार की आरक्षण के बारे में कोई सुनिश्चित नीति ठोस रूप नहीं ले पाई है और यही कारण है कि वह वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल पर बात किए जा रही है। जो उत्तर दिया गया है उसमें क्या यह ध्वनि नहीं निकलती कि जो ओ.बी.सी. होंगे, जो शेड्यूल्ड कास्ट होंगे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे, उनमें जो विकलांग होंगे और उनमें जो भूतपूर्व सैनिक होंगे, उन्हीं को केवल आरक्षण प्राप्त हो जाएगा, उनके अतिरिक्त कोई अगर होगा तो उनको आरक्षण की

†The question was actually asked on the floor if

सुविधा किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाएगी, क्या यह बात सही है?

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, after the 50 per cent ceiling which was fixed in the Indira Sawhney case by the Supreme Court, we have had to have a way by which we protect the reservation for the handicapped. We have the blind, the hearing-impaired, the orthopaedically handicapped and the ex-servicemen. What are now doing is that they are selected and adjusted against the reservations of those categories horizontally. So, there is reservation, and the one per cent reservation, after they are selected, is adjusted against the special category to which they belong, whether it is the general or the reserved category.

श्री राघवजी: महोदया, अगर यह बात सही है कि सामान्य विकलांग और सामान्य भूतपूर्व सैनिक जो है, उनको भी आरक्षण मिलता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए है, उसके प्रतिशत में कटौती होती है। तो फिर वह प्रतिशत भी गलत हो गया। इसका मतलब यह है कि जो निर्धारित प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए है उसमें कटौती हो जाएगी 50 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए, क्या यह बात सही है?

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, I want to say that those who are adjusted against these categories belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and even the handicapped among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes continue to be SC/STs and, therefore, within the SC/STs, reserved seats we say that the handicapped SC/ST candidates should find a place; so also among the OBCs. Out of the 27 per cent reserved seats for the BOCs we say that a percentage has to be given to the handicapped OBCs within that category. That is why the Supreme Court has specifically spoken about vertical and horizontal reservations and directed that interlocking should be done in a way that they get their reservation within the specified category.

श्री राघवजी: यह तो कंट्रोडिक्शन है। पहले आपने उत्तर में यह कहा था कि जनरल केटेगरी के भी विकलांग हो सकते हैं और अब कह रही है कि विदिन एस॰सी॰, एस॰टी॰ और ओ॰बी॰सी॰ में यह आएगे?

उपसभापति: वह यह कह रहे हैं कि जो ओ॰बी॰सी॰ और एस॰सी॰, एस॰टी॰ की रिज़र्व सीटें हैं उसमें जो विकलांग लोग हैं उनको पहले रिज़र्वेशन दी जाएगी, यह उनका ध्यान रखा जाएगा उन्हीं के कोटे में।

श्री रामजी लाल: महोदया, जो उत्तर मंत्री महोदया ने दिया है उसमें यह तो क्लीयर हो गया है कि पिछड़े वर्गों के चयनित उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों को दिये गये आरक्षण रोस्टर में समायोजित किया जाएगा। यह तो ठीक है। जैसे रोस्टर बनता है, ओ॰बी॰सी॰ का रोस्टर 200 का बना है, हमें यह डर है इसमें ओ॰बी॰सी॰ के कैंडीडेट को कहां पर रखा गया है, इसमें यह अभी तक क्लीयर नहीं है। 200 का जो रोस्टर बना है उसमें यह बताया जाए कि किस हिसाब से बनाया गया है?

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, we have rosters operating for reservations, which is not part of this question. For the handicapped we are now operating the hundred point roster. For every 33 vacancies one handicapped person is given a place if one has been selected, Madam. We have other relaxations also given to them like age relaxation, non-payment of fees, including even relaxation in standards for selection, and so on. The exact rosters for the OBCs, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for the general categories operate separately.

SHRI SANJAY DALMIA: Madam, I would like to know whether in the category of ex-servicemen you have a provision for including our brave soldiers from the Indian National Army because, according to my information, there has been discrimination against the brave soldiers of INA in many areas. So I would like to know whether they are included as part of ex-servicemen in this category.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, I do not have separate figures but from my understanding it would be that by now the INA soldiers would be

age-barred to be included in any category for recruitment. I hope I am right on that because there is a certain age bar for all categories and I am sure the INA soldiers would not fall into the recruitment category at this stage.

SHRI SANJAY DALMIA: Madam.....

उपसभापतिः बस हो गया आपका सवाल।

SHRI SANJAY DALMIA: Madam, I just want to clarify one thing.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I can't allow you. You are age-barred and also time-barred. Miriji.

श्री गोविन्दराम मिरीः महोदया, उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ में जो फैसले दिये गये हैं उसमें एक क्लाज यह है, हालांकि वह विचाराधीन विषय वस्तु नहीं था, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेते आ रहे थे उनका कार्यकाल पांच वर्ष तक ही रहेगा अर्थात् 1997 तक रहेगा। उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार तामिल नाडु में 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण को जारी रखने के लिए इस सदन ने संविधान में संशोधन किया है और पहले भी शाहबानो के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए इस संसद में संविधान में संशोधन किया गया, उसी प्रकार से मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या 1997 के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का इरादा सरकार रखती है या नहीं? इससे उनको लाभ मिलेगा। तो क्या ऐसा संविधान संशोधन लाने का सरकार इरादा रखती है? अगर हां तो कब तक लाएगी और अगर नहीं तो क्यों, कारण बताएं?

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, I seek your protection. I think we are talking only about reservations for the handicapped persons and the ex-servicemen.This is a genera] question on reservations in promotion and on the Constitutional amendment, which can be put separately with notice. I am prepared to answer.

SHRI GOVINDRAO MIRI: It was mentioned here reservation provided to SCs, STs tad OBCs. That is why I was putting this question.

श्री जलालुद्दीन अंसारीः अभी मंत्री जी ने बताया कि ओ.बी.सी., शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कोटे हैं आरक्षण के उनमें हैंडीकैप्स को आरक्षण दिया जाता है। हम उनसे आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि प्रकृति ने ही उनको विकलांग बना दिया है तो इन केटैगरीज के अलावा भी जो लोग है उनको जनरल सीट में अलग से आरक्षण देने का विचार सरकार रखती है या नहीं? इसलिए कि बहुत सारे विकलांग हैं उनको कोई सुविधा मिल नहीं पाती है। इसलिए उनको अलग से कुछ विशेष आरक्षण की व्यवस्था जनरल सीट्स में देने का सरकार इरादा रखती है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, the reservation out of the general pool would be available to them. I mean the 50%, which is the non-reserved category, the general category. Those handicapped persons, who belong to the general category, would get their one per cent reservation out of the general category. The Supreme Court has made it clear that this would not apply to the other limit which has been fixed in the judgement.

श्री चतुरानन मिश्रः उपसभापति महोदया, हैंडीकैप्ड परसन्स को रिजरवेशन का क्वेश्चन संविधान सम्मत हो सके इसके लिए जरूरी है कि 50 परसेंट की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए, तभी यह होगा वरना कोई भी कोर्ट में चला जाएगा क्योंकि आरक्षण 50 परसेंट से एक्सीड कर गया है। जब सभी पार्टियों की मीटिंग हुई थी उसमें तय हो चुका है कि हम लोग ऐसा करें। इस तरह के विचार एक तरह से बने थे तो क्यों नहीं सरकार ऐसा करती है कि इस 50 परसेंट को आगे बढ़ा दे जिससे आर्थिक तौर पर जो गरीब लोग हैं चाहे वे किसी जाति के, धर्म के हों, भारतीय हों यही जरूरी है, उनको भी सुविधा मिल जाए चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान कुछ भी हों केवल बिलो पावर्टी लाइन हों। इससे दोनों का समावेश हो जाता और इनका भी संविधान सम्मत हो जाता नहीं तो यह एक्सीड कर जाता है क्योंकि 27 परसेंट ओ.बी.सी. का है, 15 परसेंट एस.सी. का, 7.5 परसेंट एस.टी. का प्लस एक्स सर्विसमेन।

श्री जगन्नाथ मिश्रः 16.1 का क्या होगा।

श्री चतुरानन मिश्रः 16.1 के पाने? आर्टिकिल तो हमारे ही हाथ में है। आर्टिकिल है लेकिन अकल है तो वह हमारे हाथ में है। अगर नहीं है तो नहीं है। समाज

को चलाने के लिए जरूरी है कि जो समाज के गरीब वर्ग हैं उनको भी देना चाहिए। सरकार की भी पालिसी है और दूसरे लोग भी कहते हैं तो क्यों नहीं इसको जल्दी करें। समाज में जो डिसेंशन पैदा कर रहे हैं उसको भी हम लोग शांत कर लेंगे और इनका भी हम लोग संविधान सम्मत बना देंगे। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है? चूंकि प्रधान मंत्री खुद यहां मौजूद हैं उनको तो बता ही देना चाहिए कि जो विलो पावर्टी लाइन के लोग हैं या इकनामिक आधार पर हैं उन सबको मिला करके हम एक दिशा क्यों नहीं दें जिससे नेशनल इंटेग्रेशन का भी बढ़ावा हो। हम यहीं चाहेंगे कि प्रधान मंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण करें।

THE PRIME MINISTER (SHRI P.V. NARASIMHA RAO): We can consider all this. But nothing definite can be said at the moment in regard to the authoritative pronouncement of the highest court in the land.

HIV infection in North Eastern region

*704. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI: f

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn 'to the news-item captioned "The AIDS bomb is ticking away in North-East" published in the "Times of India" of 21st April, 1995 and if so, whether Government have made any appraisal of the drug abuse and HIV infection among the population of each State in the-North Eastern region and if so, what are the details thereof; and

(b) what steps have been taken or are proposed to be taken to combat the menace and details of financial allocations made for the specific purpose in 1994-95 and 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) Yes, Sir. HIV infection has been observed among Intravenous Drug Users. Some spread of infection among antenatal mothers has also been noticed.

(b) Financial Assistance is provided to the North-Eastern States for control of HIV/AIDS. The main components of the Programme are:

(i) Awareness generation for behavioural change;

(ii) Control of Sexually Transmitted Diseases;

(iii) Blood Safety;

(iv) Surveillance; and

(v) Clinical Mangement of HIV/AIDS cases.

Assistance is also given to the State Governments and Voluntary Agencies for Drug De-addiction Centres.

A total assistance of Rs. 282.08 lakhs was released to the 7 States in the North-Eastern Region during 1994-95 for control of HIV/AIDS. An amount of Rs. 527.34 lakhs has been tentatively allocated for these 7 States during 1994-95 for the control of HIV/AIDS.

डा० मुरली मनोहर जोशीः महोदया, मैंने जो प्रश्न किया था "क" भाग में टाइम्स आफ् इंडिया की 21 अप्रैल, 1995 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, उसका बहुत थोड़ा सा उल्लेख मंत्री महोदय ने किया है। वह रिपोर्टर इस एड्स की बीमारी की बड़ी भयानक स्थिति का चित्रण करती है नार्थ-ईस्ट में आपने उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। आसाम में सैक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी एड्स पाई गई है। गोहाटी में, दीमापुर में और इम्फाल में 10 परसेंट जनसंख्या ऐसी है जो ड्रग एब्यूज के लिए ज्यादा एडिक्ट हो गई है और सिरंज एक्सचेंज करने से एच.आई.वी. इन्फैक्शन फैलाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। आपको शायद मालूम होना चाहिए था, मुझे पता नहीं आपने उसका उल्लेख क्यों नहीं किया कितनी मौतें इस एच.आई.वी. इन्फैक्शन के कारण और फुल ब्लोन एड्स की बीमारी के कारण नॉर्थ-ईस्ट के अंदर हुई है, आसाम में कितनी हुई है, मेघालय में कितनी हुई है, इम्फाल में कितनी हुई है, इसके बारे में आपने कोई उल्लेख नहीं किया है? मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Murli Manohar Joshi.